राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4208 / 2024

जीवन

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, जिला भरतपुर।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, विजयपुरा, नदबई, जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री नगेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता,

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपीलों पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, विजयपुरा, नदबई से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Karili नदबई किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.06.2016 के द्वारा बीएलओ पद का कार्य करने के लिये नामांकित किया गया था। अपीलार्थी तब से ही बीएलओ पद का कार्य कर रहा है। वर्तमान में राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुडे कार्मिकों के स्थानान्तरण पर दिनांक 29.10.2024 से 06.01.2025 तक प्रतिबन्ध लगाया गया है एवं यह भी प्रावधान रखा गया है कि अति आवश्यक मामलों में आयोग / मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही

उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएगें। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने से पूर्व कोई पूर्व अनुमति का प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं भेजा गया है। ऐसे में उक्त आदेश की अवहेलना की गयी हैं अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–20725/2024 मोहन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.12.2024 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें यह माना गया है कि बीएलओ को कार्यमुक्त जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकता है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा बीएलओ के स्थानानतरण पर दिनांक 29.10.2024 से 06.01.2025 तक प्रतिबन्ध लगाया गया था। वर्तमान में प्रतिबन्ध की अवधि समाप्त हो चुकी है। चूंकि स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो चुकी है और अभी तक अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया है। चूंकि प्रतिबन्ध अवधि में अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय का उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होता है। वर्तमान में प्रतिबन्ध समाप्त हो चुका है। अतः आदेश दिनांक 08.10.2024 की अवहेलना होना नहीं माना जा सकता है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)